समाहरणालय, मधेपुरा।

(विधि शाखा)

–: आदेश :–

सचिव (न्याय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–3727 दिनांक 30–04–2009 के द्वारा सभी कार्यालय प्रधान को यह निदेश दिया गया है कि विभिन्न न्यायिक मामलों में राज्य की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक भुगतान पर सुयोग्य अधिवक्ता/ सेवानिवृत पदाधिकारी/ कर्मियों की सेवा ले सकते हैं। पारिश्रमिक का भुगतान ''1305– विधि प्रभार'' मद से किया जाऐगा।

इस निमित्त जिला स्तर विभिन्न न्यायिक मामलों में राज्य की ओर से गुणात्मक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 1340 दिनांक 27–11–2015 के द्वारा आम सूचना प्रकाशित कर आवेदन प्राप्त किया गया है। प्राप्त आवेदन एवं बायोडाटा पर सम्यक विचार करते हुए श्री अनिल कुमार मिश्रा पे0 स्व0 राधा रमण मिश्रा, अधिवक्ता, सा0– जय प्रकाश नगर, वार्ड नं0–06, मधेपुरा, थाना+जिला– मधेपुरा को राज्य की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जिनका मोबाईल नं0–9431893460 है। अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 487–वि0, दिनांक 15–01–2014 के द्वारा तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिकतम 1200/–(एक हजार दो सौ) एवं प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित कराने हेतु अधिकतम 300/–(तीन सौ) कुल 1500/–(एक हजार पाँच सौ) रूपये निर्धारित दर से किया जाऐगा।

श्री मिश्रा को आदेश दिया जाता है कि वे गुणात्मक तथ्य विवरणी तैयार करेंगे तथा पारिश्रमिक भुगतान हेतु तदनुसार संबंधित कार्यालय प्रधान के समक्ष विपत्र समर्पित कर भुगतान प्राप्त करेंगे।

सभी संबंधित कार्यालय प्रधान से अनुरोध है कि अपने–अपने विभागीय न्यायिक मामलों में तथ्य विवरणी तैयार कराने हेतु अधिकृत अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर अनुवर्त्ती कार्रवाई करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 100 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 06-02-2017

प्रतिलिपि : सभी विभागीय कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अनिल कुमार मिश्रा पे0 स्व0 राधा रमण मिश्रा, अधिवक्ता, सा0– जय प्रकाश नगर, वार्ड नं0–06, मधेपुरा, थाना+जिला– मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- ~~जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी~~, अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी विभागीय कार्या० प्रधान को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजना सुनिश्चित किया जाय।

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।